



न्यायालय मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 105/2017

- 1 सोनाराम पुत्र श्री सुरजाराम
- 2 घासीराम पुत्र श्री सुरजाराम
- 3 छोटुराम पुत्री श्री सुरजाराम
- 4 कानाराम पुत्र श्री सुरजाराम
- 5 फूलचन्द पुत्र श्री सुरजाराम
- 6 श्योपाल पुत्र श्री सुरजाराम

समस्त जाति माली निवासीगण ग्राम काटलीपुरा तन पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज्य राजस्थान।

अपीलांत

बनाम

- 1 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 11.07.2017 उनवानी  
राज्य सरकार बनाम पतासी देवी वगैरह मुकदमा  
नम्बर 97/2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुरवाटी

मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर (कैम्प इन्चार्ज)



उपस्थिति :

1. श्री जुगलकिशोर सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट

-निर्णय-

दिनांक:- 8.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 97/2016 में पारित निर्णय दिनांक 11.07.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 455 रकबा 0.24 हैक्टेयर ग्राम काटलीपुरा तहसील उदयपुरवाटी में स्थित है। उक्त जमीन के बाबत तहसीलदार उदयपुरवाटी ने उक्त भूमि को अकृषि कार्यों के लिये काम आना बताकर, अवैध बजरी खनन बताकर उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू के न्यायालय में धारा 177 आर. टी.एक्ट 1955 का वाद पत्र पेश किया जिस वाद पत्र को विचारण न्यायालय ने दिनांक 11.07.2017 को विचाराधीन निर्णय पारित कर स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पक्षकारों की सम्यक तामील नहीं हुई है। विचारण न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के विरुद्ध तामील पर्याप्त मानकर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय ने सम्यक तामील करवाये बिना, अपील को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना, विधिक प्रक्रिया की

भूपबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर (कैम्प इन्जन्)




पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में सम्यक तामील के उपरांत एकपक्षीय कार्यवाही कर पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर कृषि भूमि का अकृषि उपयोग साबित पाये जाने पर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में पक्षकारों की सम्यक तामील नहीं हुई है। विचारण न्यायालय ने सम्यक तामील करवाये बिना, अपील को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना, विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांत को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2024 को उपस्थिति दें।

निर्णय आज दिनांक 8.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
 (बलदेवाराम धोजक)  
 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
 सीकर (कैम्प इन्चार्ज)  
 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
 पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,  
 सीकर